

व्यक्तिगत-ध्यानार्थ
अतिआवश्यक / समयबद्ध
फैक्स / स्पीड पोस्ट

सख्यां : शिक्षा-एच(10)एफ(4)11/2009
शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश।
दिनांक शिमला-171001

18, नवम्बर, 2011

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश शिमला-1

- 1/ प्राचार्य, समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी महाविद्यालय हि०प्र०।
- 2/ प्राचार्य, समस्त संस्कृत महाविद्यालय हि० प्र०।
- 3/ समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर) हि० प्र०।

विषय :-

केन्द्रीय प्रायोजित मैट्रिकोत्तर अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में लाभान्वित छात्र/छात्राओं की सूची जारी करने बारे :-

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत ऑनलाइन तथा चैक के माध्यम से जो छात्रवृत्ति की राशि पात्र छात्र/छात्राओं में आवंटित की गई का पूर्ण व्यौरा विभाग की वैवसाईट www.educationhp.org उपलब्ध किया गया है।

अतः सभी प्राचार्यों, को आदेश दिये जाते हैं कि वह 7 दिन के भीतर अपने महाविद्यालय में पढाई कर रहे उक्त योजनाओं से सम्बन्धित पात्र छात्र/छात्राओं का व्यौरा विभाग की वैवसाईट पर देखे तथा यह सुनिश्चित करें कि जिन पात्र छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन बैंक द्वारा छात्रवृत्ति की राशि जारी की गई है क्या उन छात्र/छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त हुई है अथवा नहीं। इस तरह सभी उप शिक्षा निदेशकों को आदेश दिये जाते हैं कि वह 2 दिन के भीतर अपने अधीनस्त स्कूलों को यह आदेश दे कि पाठशालाओं में पढाई कर रहे उक्त योजनाओं से सम्बन्धित पात्र छात्र/छात्राओं का व्यौरा विभाग की वैवसाईट पर देखे तथा यह सुनिश्चित करें कि जिन पात्र छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन बैंक द्वारा छात्रवृत्ति की राशि जारी की गई है क्या उन छात्र/छात्रों को उन के खातों में छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त हुई है अथवा नहीं। इस लिये सभी प्राचार्यों, उप शिक्षा निदेशकों को आदेश दिये जाते हैं कि यदि किसी पात्र छात्र/छात्रा को ऑनलाइन सम्बन्धित खाते में छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं हुई है (जिस का कारण विभाग को सही बैंक खाता सख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड उपलब्ध न करवाना है) को सम्बन्धित बैंक से सत्यापित करवाकर 15 दिनों के भीतर निदेशालय से मामला उठायें ताकि पात्र छात्र/छात्राओं को चैक के माध्यम ये छात्रवृत्ति की राशि आवंटित की जा सके। यदि आप द्वारा सूचना समय रहते उपलब्ध नहीं करवाई गई तो जो छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति से वचितं रह जाते हैं उन का पूर्ण दायित्व आप का होगा।


(+) शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।